न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 2014/00177 (13/2014) 223 आरटीएक्ट

दयाराम पि0मु0 स्व0 मामकौरी धर्मपत्नि स्व0 अमीलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ(राज0) ––अपीलांट

बनाम

1. शिशपाल पुत्र राधाकृष्ण पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र घडसीराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ – रेस्पोडेण्ट/वादी
2. रामेश्वरी धर्मपत्नि राधाकृष्ण
3. हरदत पुत्र राधाकृष्ण
4. राजो पुत्री राधाकृष्ण
5. कमला पुत्री राधाकृष्ण
6. धाई पुत्री राधाकृष्ण
7. मिरंगा पुत्री राधाकृष्ण
8. पप्पी पुत्री राधाकृष्ण
9. गंगा पत्नि श्रीराम
10. रामजीलाल पुत्र श्रीराम
11. विधा पुत्री श्रीराम
12. शंकर पुत्र श्रीराम
13. कृष्णा पुत्री श्रीराम
14. केसर पुत्री श्रीराम
15. शान्ति पत्नि महावीर पुत्र श्रीराम
16. बिहारीलाल पुत्र महावीर पुत्र श्रीराम
17. पवन पुत्र महावीर पुत्र श्रीराम
18. लालचन्द पुत्र महावीर पुत्र श्रीराम
19. पुष्पा पुत्री महावीर पुत्र श्रीराम
20. सन्तो पत्नि साधुराम पुत्र श्रीराम
21. महेन्द्रसिंह पुत्र साधुराम पुत्र श्रीराम
22. भूरी पुत्री साधुराम पुत्र श्रीराम
23. सुरजमुखी पुत्री साधुराम पुत्र श्रीराम
24. राजबाला पुत्री साधुराम पुत्र श्रीराम
25. भगवानाराम दतक पुत्र रामस्वरूप

जाति ब्राम्हण निवासीयान ढाणी लालखॉ तहसील नोहर जिला हनुमागनढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

26. तहसीलदार राजस्व, टिब्बी जिला हनुमानगढ —रेस्पोडेन्ट्स

विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी दिनांक 3.09.2013 प्रकरण संख्या 604/2013 बअनवानी शिशपाल बनाम दयाराम

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 02.05.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडैन्टस के विरूद्व एक वाद न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक श्योदानपुरा बारानी में 1.467 हैक्टयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पडदादा घडसीराम के नाम से कुल 22 बीघा 8 विस्वा भूमि थी जो वादी के दादा लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज हुई, वादी के दादा लक्ष्मीनारायण कुल चार भाई लक्ष्मीनारायण, अमीलाल, श्रीराम, रामस्वरूप थे, घडसीराम के चारो पुत्र फौत हो चुके हैं। लक्ष्मीनारायण का भाई अमीलाल सन 1975 से पूर्व फौत हो गया था। घडसीराम के नाम दर्ज खसरा नं0 271 की 22 बीघा 8 विस्वा भूमि कैम्प श्योदानपुरा में खसरा नं0 74 की 1.607 है0 लक्ष्मीनारायण के नाम, खसरा नं0 75 की 1.467 है0 भूमि अमीलाल की पत्नि मामकौरी के नाम, खसरा नं0 76 की 2.706 है0 भूमि श्रीराम व रामस्वरूप के नाम दर्ज हुई। अमीलाल के कोई औलाद नही थी। अमीलाल की पत्नि मामकौरी के नाम दर्ज हुई कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा फर्जी दतक विलेख दिनांक 6.06.1984 के आधार पर अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली। दतक विलेख शुन्य व अविधिमान्य व अकृत घोषित करवाने हेतू सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसका अन्तिम निर्णय हो चुका है व दतक विलेख शुन्य घोषित हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 का प्रश्नगत् भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। अमीलाल के कोई वारिस नही होने के कारण अमीलाल के भाई लक्ष्मीनारायण, श्रीराम व रामस्वरूप हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अमीलाल की भूमि के हकदार है। वादी के दादा लक्ष्मीनारायण व पिता राधाकृष्ण फौत हो चुके है, इसलिए लक्ष्मीनारायण के जायज वारिस होने के नाते वादी की और से वाद–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद–पत्र वादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र की दफा 2 में प्रतिवादी संख्या

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

1 के नाम दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 25 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई व शेष प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 26 ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्णय किये जाने के कथन किये।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराया उसकी विधिवत तामील नहीं हुई है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त नहीं है। मामकौरी के दाहान्तोपरान्त प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट 12 वर्षों से काबिल चला आ रहा है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है डिले कन्डोन की जावे। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडैन्ट ने अपनी बहस में कथन किये कि अमीलाल की पत्नि मामकौरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का नामांतरण अपीलांट द्वारा दत्तक विलेख (गोदनामा) के आधार पर करवाया गया था व उक्त गोदनामा सक्षम न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित किया जा चुका है व उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है। प्रश्नगत् भूमि में अपीलांट का कोई हक व अधिकार नही है व न ही अपीलांट स्व0अमीलाल या मामकौरी का वारिस ही है। अमीलाल के कोई वारिस नहीं होने के कारण मुताबिक हिन्दु उतराधिकार अधिनियम अमीलाल के हक हिस्सा की भूमि के उसके भाई उतराधिकारी है व अपने विधिक अधिकारों के तहत ही रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया था व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों व विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो पूर्णतयः सही है, अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

7. अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सहायक अभिलेखाधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 23.02.1975 में गांव श्योदानपुरा बारानी की खसरा नं0 75 की 1.467 हैक्टयर भूमि मामकौरी को प्राप्त होना साबित है व जमाबंदी सम्वत् 2066–69 में उक्त खसरा नं0 की भूमि दयाराम पि0मु0 मामकौरी धर्मपत्नि अमीलाल जाति ब्राहमण साकिन ढाणी लालखां के नाम दर्ज है उक्त भूमि अपीलांट के नाम दतक विलेख दिनांक 6.06.1984 के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का उल्लेख आया है। अपीलांट के पक्ष में दतक विलेख दिनांक 6.06.1984 को अकृत शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाने के लिए सिविल न्यायधीश(वरि0) नोहर के समक्ष वाद–पत्र बअनवारी श्रीराम आदि बनाम दयाराम आदि प्रस्तुत किया जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2000 को निर्णय पारित करते हुए घोषणा फरमाई कि अपीलांट दयाराम पुत्र मनीराम मृतका मामकौरी या मृतक अमीलाल का दतक पुत्र नही है व दतक विलेख दिनांक 6.06.1984 को अकृत, शुन्य व अविधिमान्य घोषित किया गया। सिविल न्यायलय के उक्त निर्णय के बाद अपर जिला न्यायधीश नोहर में अपीलांट ने अपील संख्या 6/2000 प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई दिनांक 25.02.2005 को निरस्त की गई तत्पश्चात अपीलांट दयाराम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 183/2005 प्रस्तुत की जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही की इस सम्बन्ध में अपीलांट ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तिम हो चुका है व दत्तक विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेख मे की गई प्रवृष्टियां का स्वयंमेव कोई आस्तित्व नही रह गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को देखते हुए जो निर्णय पारित किया है वो उचित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील अस्वीकार होने योग्य पाई जाती है।

8. अतः यह अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 3.09.2013 यथावत् रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

2/5/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official